

# समान पात्रता परीक्षा स्कोर की वैधता अब तीन वर्ष तक रहेगी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदार ने प्रक्रावार्ता में बताया कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 की अनुसूची-1 में संशोधन, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष करने, पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने एवं इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदार ने प्रक्रावार्ता में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने कार्मिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिनिंदा के दण्ड के एमएसपी पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 की अनुसूची-1 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित परिनिंदा के दण्ड का पदोन्नति पर प्रभाव भी समाप्त किया जा चुका है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सीईटी स्कोर की वैधता एक वर्ष होने के कारण हर साल होने वाली अगली सीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। अल्पसंख्यक संख्या में आवेदन आने पर बोर्ड को वित्तीय भार और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीईटी

स्कोर की वैधता अवधि 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। गोदार ने बताया कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-2 एवं छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची-1 (स्नातक स्तर) में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को

## पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ पदोन्नति का मार्ग हुआ प्रशस्त

अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 के तर्कनीकी संवर्ग में पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक, पशुचिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे इस संवर्ग के कर्मचारियों के आत्मसम्मान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

गोदार ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चुरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नामकरण 'श्रीमती शकुन्तला देवी राजकीय महाविद्यालय, सिद्धमुख करने की स्वीकृति प्रदान की।

# सरकार के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन

जयपुर, (का.प्र.)। भजनलाल सरकार के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए नये जिलों में से 9 जिलों को निरस्त करने के साथ ही तीनों नए संभागों को समाप्त करने के बाद कांग्रेस ने सरकार के निर्णय को लेकर कांग्रेस के विरोध में भाजपा सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति तैयार की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस निर्णय को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। डोटासरा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया, जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ, मनमोहन सिंह को भारत सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक के तहत श्रद्धांजलि दी, जबकि दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने यह जनविरोधी निर्णय लिया, जो किसी के भी विचार से परे है।

- जिले और संभाग खत्म करने का कांग्रेस ने किया विरोध
- डोटासरा और जूली बोले, "सड़क से सदन तक घेरेंगे सरकार को"

डोटासरा ने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान जिन जिलों और संभागों का गठन किया गया था, वह एक रिटायर्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के बाद किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने मात्र 12 महीनों में यह पहला निर्णय लिया, जो पूरी तरह से जनता विरोधी है। कांग्रेस ने इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनगणना के समय और कोर्ट में किसी भी जनहित याचिका को चुनौती देने से बचने के लिए जल्दबाजी में यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस फैसले को इस तरह लिया, जिससे कोई कोर्ट में जनहित याचिका न दाखिल

में बनी कमेटी की सिफारिशों के बाद किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने मात्र 12 महीनों में यह पहला निर्णय लिया, जो पूरी तरह से जनता विरोधी है। कांग्रेस ने इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनगणना के समय और कोर्ट में किसी भी जनहित याचिका को चुनौती देने से बचने के लिए जल्दबाजी में यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस फैसले को इस तरह लिया, जिससे कोई कोर्ट में जनहित याचिका न दाखिल

कर सके। इस फैसले से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने क्षेत्र का जिला बचाने में सफल रहे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के जिले को समाप्त कर दिया गया है, जिस पर डोटासरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब प्रेमचंद बैरवा जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के जिलों को बचा लिया। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से प्रदेश में इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार के फैसले पर कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि कांग्रेस ने जिलों का गठन सही तरीके से नहीं किया, तो भाजपा को और जिलों का गठन करना चाहिए था। जूली ने यह भी कहा कि कुछ छोटे राज्यों में राजस्थान से अधिक जिले हैं। राजस्थान सरकार का यह निर्णय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने का संकेत दिया है।

# कैबिनेट फैसलों के बाद विपक्षी नेता दे रहे हैं बचकाना और बेतुके बयान : अविनाश गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद विपक्ष की ओर से की गई अनर्गल बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सुमित गोदार ने विपक्ष के बयान को बचकाना और बेतुका बताया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने कभी सोचा तक नहीं कि आजादी के 67 साल में केवल 7 नए जिले बनाए गए, जबकि इन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के चलते चुनावी साल के अंतिम 6 माह में 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा कर दी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए आनन-फानन में उठाए गए फैसले से यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सोच एक थी कि "हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे"।

- 'आजादी के बाद 67 साल में 7 नए जिले, गहलोत ने चुनावी साल के आखिर में राजनीतिक लाभ के लिए बनाए 17 जिले'
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस घोषणाओं के क्रियान्वयन पर, पहले ही साल में 50 फीसदी वादों को किया पूरा : सुमित गोदार

भाजपा सरकार के फैसलों का स्वागत करना चाहिए था। मंत्री गहलोत ने डोटासरा से सवाल किया कि वे सर्वदलीय बैठक करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने 17 नए जिले बनाते समय बैठक की थी। प्रदेश में विपक्ष के पास अब धरने, प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। कांग्रेसी नेताओं के पास धरने-प्रदर्शन करने के लिए भी कोई विषय नहीं बचा, ऐसे में वो इस तरह के बचकाने बयान जारी कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की उम्र हो रही है, ऐसे में वो राजनीति में जिंदा रहने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अब कांग्रेस विपक्ष में ही रहने वाली है। गोदार ने डोटासरा के बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि

जा सकता है कि गतिशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रगतिशील राजस्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सुमित गोदार ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का उद्देश्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ पहुंचाना है। इस दिशा में लगातार जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनाया जाएगा। गोदार ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मंशा जनता के हित में नहीं थी, अगर जनता के हितों को ध्यान में रखकर जिले बनाए जाते तो गहलोत 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 14 साल तक जिलों के बारे में चर्चा तक नहीं की और जब सरकार जाने वाली थी, उस दौर में चुनाव से कुछ माह पूर्व बिना किसी योजना के 17 नए जिले बना दिए। प्रदेश की जनता है सब जानती है और सब समझती है, जनता ने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में हराकर दिखा दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का फैसला राजनीतिक स्वार्थ था, जबकि भजनलाल सरकार का फैसला जनहितार्थ है।

## दुष्कर्मी फलाहारी को भेजा ओपन जेल

जयपुर। आश्रम में शिष्या से दुष्कर्मी करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रपन्नाचर्य उर्फ फलाहारी को हाईकोर्ट की ओर से अवमानना के नोटिस जारी करने के बाद ओपन जेल में भेजा गया है।

फलाहारी के वकील विश्राम प्रजापति ने बताया कि याचिकाकर्ता को अलवर के एडीजे कोर्ट ने सितंबर, 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। करीब साल सात की सजा काटने पर उसकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर उसे ओपन जेल में शिफ्ट करने की गुहार की गई, लेकिन ओपन जेल सलाहकार कमेटी ने ग 14 फरवरी को उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कमेटी के आदेश को चुनौती दी गई। जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि अभियुक्त याचिकाकर्ता को ओपन जेल में शिफ्ट किया जाए। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि ओपन जेल की स्थापना इसलिए हुई है कि कैदी हुनर सीखकर सजा पूरी होने के बाद समाज में स्थापित हो सके। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अदालती आदेश के बाद भी अधिकारियों से याचिकाकर्ता को ओपन जेल में शिफ्ट नहीं किया।



बादल छाने से सर्दी बढ़ने पर कनकपुरा डिपो के पास उमराव गार्डन में तिब्बतियों द्वारा लगी गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आई।

# बेटी शादी का खर्चा मांगने के लिए सक्षम, मां का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर। शहर की फैमिली कोर्ट-2 ने बालिग बेटी की शादी पर हुए 15 लाख रुपए खर्च को पिता से दिलावाए जाने के संबंध में मां की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी तसनीम खान ने कहा कि बेटी बालिग है और वह खुद ही अपनी शादी पर हुए खर्च को पिता से मांगने के लिए सक्षम है। ऐसे में एक मां अपनी बालिग बेटी के भरण-पोषण का खर्चा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। वह खर्च कि ओपन जेल की सलाहकार कमेटी ने ग 14 फरवरी को उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कमेटी के आदेश को चुनौती दी गई। जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि अभियुक्त याचिकाकर्ता को ओपन जेल में शिफ्ट किया जाए। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि ओपन जेल की स्थापना इसलिए हुई है कि कैदी हुनर सीखकर सजा पूरी होने के बाद समाज में स्थापित हो सके। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अदालती आदेश के बाद भी अधिकारियों से याचिकाकर्ता को ओपन जेल में शिफ्ट नहीं किया।

- शहर की फैमिली कोर्ट-2 ने बालिग बेटी की शादी पर हुए 15 लाख रुपए खर्च को पिता से दिलावाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र खारिज किया

नहीं दिया। ऐसे में उसने दूसरे लोगों से रुपए उधार लेकर बेटी का विवाह किया है। ऐसे में उसे विवाह में खर्च हुए पन्द्रह लाख रुपए दिलाए जाएं। मामले में जुड़े अधिवक्ता डीएस शेखावत ने बताया कि एक बालिग बेटी अपने पिता से शादी पर हुए खर्च को मांगने की अधिकारी है। वह चाहती तो शादी से पहले ही कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर कर सकती थी, लेकिन उसकी मां ने शादी के चार साल बाद पति से खर्चा दिलवाने का प्रार्थना पत्र लगाया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। गौरतलब है कि प्रार्थना पत्र लंबित रहने के दौरान मानसिक क्लृप्ता के आधार पर 2019 में मां का तलाक भी हो गया।

## मूंग की खरीद अवधि को बढ़ाने की मांग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के किसानों के हित में मूंग के खरीद लक्ष्य को बढ़ाने सहित खरीद अवधि को भी पांच फरवरी तक बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। शर्मा ने राज्य में असमय हुई वर्षा एवं भौगोलिक

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीद के लिए गुणवत्ता मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करने के लिए भी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को पत्र लिखा है। इससे अधिकाधिक किसानों से मूंग की खरीद सुनिश्चित होने के साथ ही उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र मीना ने बताया कि रामनगरिया के जगतपुरा निवासी 44 साल के कारोबारी ने मामला दर्ज करवाया कि करीब 4 महीने पहले उसकी रेशमा (बदला हुआ नाम) से जान-पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान दोस्ती होने पर मिलना-जुलना होने लगा। 23 दिसम्बर को शाम करीब 7 बजे जगतपुरा पुलिस थाने के नीचे दोनों मिले। मिलने आने के बाद वह युवती उसकी कार में बैठ गई। बातचीत करते दोनों आगरा रोड की तरफ निकल गए।

# कारोबारी का अपहरण कर बदमाशों ने वसूली 25 लाख रु. फिरौती

जयपुर। राजधानी जयपुर के रामनगरिया इलाके में एक कारोबारी का अपहरण कर 25 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी ने युवती सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

- पीड़ित ने रामनगरिया थाने में आरोपी युवती समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया

जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र मीना ने बताया कि रामनगरिया के जगतपुरा निवासी 44 साल के कारोबारी ने मामला दर्ज करवाया कि करीब 4 महीने पहले उसकी रेशमा (बदला हुआ नाम) से जान-पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान दोस्ती होने पर मिलना-जुलना होने लगा। 23 दिसम्बर को शाम करीब 7 बजे जगतपुरा पुलिस थाने के नीचे दोनों मिले। मिलने आने के बाद वह युवती उसकी कार में बैठ गई। बातचीत करते दोनों आगरा रोड की तरफ निकल गए। वापस लौटते समय रेशमा ने एक लड़के को कॉल किया। कॉल कर उसके साथ जबरदस्ती करने की बताकर लोकेशन भेज दी। जगतपुरा पुलिस थाने के नीचे आने पर लड़के के आने पर रेशमा उसके साथ चली गई। इसके बाद जगतपुरा स्थित 7 नाइट होटल के सामने वह खरीदारी करने लगी। खरीदारी करने के बाद गाड़ी में बैठते ही तीन लड़के जबरन अंदर घुस गए। दो लड़कों ने उसको पकड़ लिया, तीसरे ने उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। पिस्तौल के दम पर किडनीप क कर आरोपी उसे बाँचे हाँसिएल जगतपुरा की तरफ ले गए। रास्ते में हाथ बांधकर गाड़ी में पीछे की तरफ

पटक दिया। इसके बाद बदमाश उसे अलवर ले गए और गाड़ी में जमकर मारपीट की। उनमें से एक ने रेशमा से बात कर कहा कि तू थाने में मत जाना। हम इससे बातचीत कर रहे हैं। झूठे रेष केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे। रुपए की व्यवस्था नहीं होने की कहने पर जमकर पीटा। जान से मारने के लिए उतार होने पर परिचित-रिश्तेदारों से कैश दिलाने की हामी भर दी। आरोपियों ने पीड़ित को अलवर में बंधक बनाकर रखा। एक बदमाश जयपुर आकर घर से 15 लाख और परिचित से 10 लाख रुपए लेकर गाड़ी बैंक अकाउंट से 10 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए उसके बाद गाड़ी के पास छोड़कर चले गए। बदमाश जाते समय गाड़ी की चाबी अपने साथ ले गए। दूसरी चाबी मंगवाकर गाड़ी लेकर वापस घर लौटकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि पुलिस से मामला दर्ज कर पीड़ित का मंडिकल करवाया है। उसके पैर-हाथ पर डंडे से पीटने के निशान भी हैं। इस-आंक पर भी चोट लगी मिली है। इस मामले में कार्रवाई कर फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है।

# भाजपा सरकार जनहितैषी योजनाओं को दे रही है मूर्तरूप : मदन राठौड़



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आमजन से की मुलाकात कर समस्याएं सुनी।

गरीब और किसान के साथ हर वर्ग और हर समुदाय के लिए जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी विधायकों के साथ संवाद कर उनके क्षेत्र की मुख्य समस्याओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अच्छी पहल है।

राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार आमजन के कल्याण के लिए योजनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां युवा, महिला,

# वेदों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि वेदों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वेदों की शिक्षाओं को सरल भाषा में बताया जाना आज की जरूरत है। देवनानी का कहना था कि हम कितने



विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी का शनिवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित अरविंद के आलोक में वेद की आधुनिक व्याख्या पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत किया गया।

- लिविंग वेद पर संगोष्ठी में बोले विधानसभाध्यक्ष, "मानव जीवन की समस्याओं का समाधान वेदों में"

भी आधुनिक बन जाएं, वेदों की शिक्षाओं की आवश्यकता हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। देवनानी ने कहा कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं लेकिन यह आज भी सामायिक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सरल भाषा में वेदों को समझाना आवश्यक है। देवनानी ने विद्वानों का आवाहन किया कि वे वेदों का सरलीकरण से विवेचन करें ताकि लोगों को वेदों से अनुभूति हो सके और वे समझ सकें कि मानव जीवन की समस्याओं का समाधान वेदों में है। देवनानी का मानना था कि जीवन जीने की शैली वेदों से समझी जा सकती है। देवनानी शनिवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित अरविंद के आलोक में वेद की आधुनिक व्याख्या पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह

का शुभारंभ किया। देवनानी ने कहा कि वेद अतीत नहीं वर्तमान हैं। आमजन को उनकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। यह केवल आध्यात्मिक अनुष्ठान ही नहीं है बल्कि चेतना की गहरी परतो तक पहुंचने वाला अथाह ज्ञान है। देवनानी ने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन को वेदों से समझा जा सकता है। वेद राष्ट्रीय जागरण को नई दिशा देते हैं। मानवता का सबसे बड़ा दर्शन भी वेदों में मिलता है। प्रकृति के प्रति सम्मान वेदों से समझा जा सकता है और भारत के नैतिक ढांचे

को भी यह आकार प्रदान करते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक सुदेश कुमार शर्मा ने स्वागत उद्घोषण किया। संगोष्ठी को डॉ अजीत सबनीस और डॉ आलोक पांडे ने भी संबोधित किया। वैदिक मंत्र उच्चारण डॉ सुधाकर पांडे ने किया। समारोह में पहुंचने पर देवनानी की केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाई एस रमेश और अरविंद सोसायटी के सूर्य प्रताप सिंह सहित विश्वविद्यालय, साक्षी ट्रस्ट और सोसायटी के अधिकारियों ने अगवानी की।